2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रतनसिंह बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 195 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रतनसिंह पुत्र श्रवणसिंह रावणा राजपूत निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.11.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम हरियाढाणा में निःवर्तमान राजस्व नक्शे से पहले के क्षतिग्रस्त नक्शें में जितनी सुस्पष्ट तरमीमे दर्ज है वे सभी तरमीमे निःवर्तमान नक्शे में दर्ज कर सम्पूर्ण निःवर्तमान हरियाढाणा ग्राम के नक्शे की रंगीन छाया प्रति प्रमाणित उपलब्ध व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	